न्यायालय, समाहर्त्ता–सह– जिला दंडाधिकारी, खगड़िया

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार–विविध (आपूर्ति अपील) वाद सं0–02/2016–17 ब्रह्मदेव दास बनाम राज्य

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
19.09.2017	***आदेश*** प्रस्तुत आपूर्ति अपील वाद सं0–02/2016–17 ब्रह्मदेव दास पे0 स्व0 धनिचर दास, साकिन–राजेन्द्रनगर, वैसा, थाना–परवत्ता, जिला–खगड़िया द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 1833/दिनांक–31.10.2016 से विछुब्ध होकर दाखिल किया गया है। दाखिल अपील आवेदन में कहा गया है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, परवत्ता के पत्रांक 156 दिनांक 05.10.2016 के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को प्रतिवेदित किया गया कि अपीलार्थी के द्वारा दो बोरा अरवा चावल मो0 शाहजहॉ आलम पेसर मसीर शाह ग्राम–मड़ैया को दे दिया गया है जिसे ग्रामीणों द्वारा पकड़कर मड़ैया थाना को सुपुर्द कर दिया गया। मो0 शाहजहॉ आलम के ब्यान के आधार पर कि दो बोरा चावल अपीलार्थी के जन वितरण प्रणाली के दुकान से खरीद कर ले जा रहे थे, जिसके आधार पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, परवत्ता के द्वारा अपीलार्थी एवं मो0 शाहजहॉ के विरूद्ध परवत्ता थाना कांड सं0–2331/16 अन्तर्गत धारा–7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज कराया गया तथा अपीलार्थी को दिनांक 03.10.2016 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अपीलार्थी को दिनांक 28.10.2016 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खगड़िया के द्वारा ज़मानत प्रदान किया गया एवं अपीलार्थी दिनांक 29.10.2016 को जेल से रिहा हुए। अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के ज्ञापांक 1626 दिनांक 14.10.2016 के द्वारा अपीलार्थी का अनुज्ञप्ति संख्या–41 पी/2007 निलंवित कर दिया गया। अनुज्ञप्ति निलंवित कर दिये जाने के पश्चात अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी ने ज्ञापांक 1717 दिनांक 21.10.2016 के द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी तथा सात दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण देने को कहा गया। अपीलार्थी कारा में संसीमित थे, इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के उपरोक्त पत्र उनके पुत्र श्री अखिलेश कुमार ने दिनांक 25.10.2016 को प्राप्त किया, जिसके कारण वे ससमय स्पष्टीकरण का जबाव नहीं दे पाये और अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 1833 दिनांक 31.10.2016 के द्वारा उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। उनका कहना है कि अपीलार्थी के स्पष्टीकरण पर बिना विचार किये ही अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा अनुज्ञप्ति अवैधानिक रूप से रद्द कर दिया गया, जो विधिक एवं तथ्यगत दोनों ही रूप से खारिज योग्य है। उनका यह भी कहना है कि अपीलार्थी के विरूद्ध उपभोक्ताओं	

मुखिया, उप मुखिया, सरपंच पंचायत समिति के सदस्य, वार्ड सदस्य एवं उपभोक्ताओं द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को लिखित आवेदन दिया गया। उनके द्वारा आवेदन पत्र की छाया प्रति संलग्न किया गया है। उनका कहना है कि इससे स्पष्ट है कि जप्त चावल का बोरा अपीलार्थी के जन वितरण प्रणाली दुकान का नहीं है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा मनमाने ढंग से बिना कोई जॉच किए ही अपीलार्थी का अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया गया। वे एक काफी गरीब हैं तथा अनुसूचित जाति के हैं। उनका राजी--रोटी का एक मात्र साधन जन वितरण प्रणाली की दूकान है। ग्रामीण राजनीति के कारण ही उनके उपर आरोप लगाया गया है। उनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश को खारिज करते हुए अनुज्ञप्ति संख्या–41 पी0/2007 को पुर्नबहाल करने का अनुरोध किया गया है।

अभिलेख तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का परिशीलन किया गया।

अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, परवत्ता के पत्रांक 156 दिनांक 05.10.2016 के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को प्रतिवेदित किया गया कि श्री ब्रहमदेव दास, जन वितरण प्रणाली बिक्रेता ग्राम पंचायत राज वैसा, प्रखंड परवत्ता द्वारा दो बोरा अरवा चावल मो0 शाहजहॉ आलम पे0 मसीर शाह ग्राम–मड़ैया को दिया गया जिसे ग्रामीणों ने पकड़कर मड़ैया थाना को सुपुर्द कर दिया गया। जॉच के क्रम में पाया गया कि मो0 शाहजहॉ आलम श्री ब्रहमदेव दास, जन वितरण प्रणाली बिक्रेता के उपभोक्ता नहीं हैं। तथा मो0 आलम द्वारा ब्यान दिया गया कि वे दो बोरा अरवा चावल श्री दास जन वितरण प्रणाली बिक्रेता से खरीद कर घर ले जा रहे थे। उक्त के आलोक में श्री दास के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी तथा बिक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। बिक्रेता द्वारा ससमय स्पष्टीकरण का जबाब नहीं देने के कारण बिहार लक्षित सार्वजनिक प्रणाली नियंत्रण-आदेश 2016 के कंडिका–28 के आलोक में श्री ब्रहमदेव दास, जन वितरण प्रणाली बिक्रेता, ग्राम पंचायत राज वैसा, प्रखंड–परवत्ता जिला–खगड़िया के अनुज्ञप्ति सं0–41पी0/07 को अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 1833 दिनांक 31.10.2016 द्वारा रद्द कर दिया गया।

अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सिविल रिट दाखिल किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–2715/2017 ब्रहमदेव दास वनाम राज्य एवं अन्य में पारित आदेश में समाहर्त्ता, खगड़िया को आवेदक के अपील पर विचार करते हुए तर्कसंगत आदेश पारित करने का आदेश दिया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनका कथन है कि बिक्रेता को गलत रूप स फसाया गया है। उनके जेल में रहने के

बिक्रेता का अनुज्ञप्ति गलत रूप से रद्द किया गया है। बिक्रेता के विरुद्ध किसी भी उपभोक्ता का कोई शिकायत नहीं है। ग्राम पंचायत राज वैसा के मुखिया, उप मुखिया, सरपंच एवं वार्ड सदस्य द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को लिखित रूप से आवेदन दिया गया है कि ब्रहमदेव दास के नाम पर जो चावल पकड़ाया है वह चावल ब्रहमदेव दास का नहीं है। वह चावल किसी उपभोक्ता का है और उपभोक्ता के द्वारा ही चावल बेचा गया है। उनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द संबंधी पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी का अनुज्ञप्ति पुर्नबहाल करने का अनुरोध किया गया।

सुनवाई के क्रम में विशेष लोक अभियोजक द्वारा कहा गया कि मो0 शाहजहाँ आलम द्वारा दिया गया ब्यान कि दो बोरा अरवा चावल श्री ब्रह्मदेव दास, जन वितरण प्रणाली, बिक्रेता से खरीदकर घर ले जा रहे थे। बिक्रेता द्वारा खाद्यान्न का की जा रही कालाबाजारी के आलोक में अपीलार्थी का अनुज्ञप्ति रद्द संबंधी अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा पारित आदेश सम्यक तथा उचित है। उपरोक्त के आलोक में अपीलार्थी का अपील आवेदन अस्वीकृत किये जाने योग्य है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा मो0 शाहजहाँ आलम द्वारा दिये गये ब्यान से स्पष्ट होता है कि पकड़े गये 02 (दो) बोरा अरवा चावल जन वितरण प्रणाली बिक्रेता श्री ब्रह्मदेव दास का ही है। इस प्रकार बिक्रेता द्वारा खाद्यान्न का कालाबाजारी किया जाना अनुज्ञप्ति की शर्तो का घोर उल्लघंन है। यह सही है कि जन वितरण प्रणाली बिक्रेता द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब ससमय अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को जेल में बन्द रहने के कारण नहीं दिया गया। इस मामले में विस्तृत विवेचना से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा अपने बचाव में कोई उपयुक्त तथ्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट हो सके कि इतनी बड़ी मात्रा में पकड़े गये चावल उनके यहाँ का नहीं है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 1833 दिनांक 31.10.16 को यथावत रखा जाता है तथा अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, खगड़िया

समाहर्त्ता खगड़िया

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.

डी0 बी0 नं0 265 /विधि, दिनांक 9/10/2017

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश की प्रति जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

9/10/2017

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि, शाखा
खगड़िया।

9/10/17